प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनांक 29.03.2023

एनडीपीएस एक्ट में आरोपी संजू उर्फ अमित व भारत शर्मा को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 12 वर्ष का कठोर कारावास व 1.50 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्तों- संजू उर्फ अमित पुत्र विनोद निवासी कुंज विहार थाना गोला का मंदिर जनपद ग्वालियार मध्यप्रदेश व भारत शर्मा पुत्र कौशल शर्मा निवासी मौ0 वासो पट्टी थाना किन्हर कसेरा जनपद मधुबनी बिहार द्वारा वर्ष-2021 में मादक पदार्थ की तस्करी करने के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 209/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 29.03.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज/एफटीसी सेकंड जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों संजू उर्फ अमित व भारत शर्मा को दोषी पाते हुए प्रत्येक को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 12 वर्ष का कठोर कारावास व 1.50 लाख रुपये (एक लाख पचास हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1-संजू उर्फ अमित पुत्र विनोद निवासी कुंज विहार थाना गोला का मंदिर जनपद ग्वालियार मध्यप्रदेश।

2-भारत शर्मा पुत्र कौशल शर्मा निवासी मौ0 बासो पट्टी थाना किन्हर कासेरा जनपद मधुबनी बिहार। हाल पता मौ0 यू लाहौर शास्त्रीनगर गीता कालोनी, जिला ईस्ट नई दिल्ली।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 29.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 289/23 धारा 307/504/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक देशी पिस्टल मय 04 जिन्दा कारतूस 9 एमएम बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.03.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पति जोगेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी गांव बली थाना कोतवाली बागपत ने उसके घर पर आकर वादिया व उसके परिजनों के साथ गाली-गलौच की तथा जान से मारने की धमकी देते हुए जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायर किया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 289/23 धारा 307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 289/23 धारा 307/504/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त जोगेन्द्र को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक

पिस्टल देशी मय 04 जिन्दा कारतूस 09 एमएम बरामद हुए है। जोगेन्द्र थाना कोतवाली बागपत का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसका HS नं0 76A है।

उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जोगेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी गांव बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त जोगेन्द्र का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 011/05 धारा 392/402 IPC व 25/27/54/59ए IPC थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-मु0अ0स0 030/04 धारा 2/3 गैं0 एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-मु0अ0स0 71/04धारा 27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
4-मु0अ0स0 020/04 धारा 302/504 IPC थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
5-मु0अ0स0 495/2000 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
6-मु0अ0स0 208/2000 धारा 395/397 IPC थाना एमएस पार्क दिल्ली
7-मु0अ0स0 248/2000 धारा 395/397 IPC थाना एमएस पार्क दिल्ली
8-मु0अ0स0 254/2000 धारा 395/397/412/342 IPC थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
9-मु0अ0स0 210/01 धारा 302 IPC थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
10-मु0अ0स0 310/01 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
11-मु0अ0स0 439/01 धारा 2/3 गैं0 एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
12-मु0अ0स0 230/01 धारा 3/4 गुण्डा अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
13-मु0अ0स0 387/2000 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
14-मु0अ0स0 254/2000 धारा 395/307 IPC व 25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
15-मु0अ0स0 242/2003 धारा 395/342/412 IPC थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
16-मु0अ0स0 231/09 धारा 3/4 गुण्डा अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
17-मु0अ0स0 65/17 धारा 392/411 IPC थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
18-मु0अ0सं0 289/23 धारा 307/504/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल देशी मय 04 जिन्दा कारतूस 09 एमएम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री दिव्य कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-है0का0 508 मंजीत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-है0का0 432 अनिल नागर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
4-का0 60 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
5-का0 229 देवेस कसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 29.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 290/23 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर चोरी किये हुए लोहे के 05 पाईप बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.03.23 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादिया की फैक्ट्री से नल वाले लोहे के पाईप चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 290/23 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों का गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 290/23 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुये

03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशादेही पर चोरी किये गये लोहे के 05 पाईप बरामद हुए है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सोनू पुत्र कैलाश निवासी अग्रवाल मन्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-गोपाल पुत्र जयवीर निवासी अग्रवाल मन्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-बन्टी पुत्र शीतल निवासी अग्रवाल मन्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए लोहे के 05 पाईप।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार शर्मा कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-का0 511 धर्मेन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-का0 443 रामेन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बडौत   दिनाँक -29.03.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 204/22 धारा 147/148/323/324/504/506/307 भादवि व 7 सीएल एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.03.2022 को होली के त्यौहार पर ग्राम बावली में दो पक्षों के मध्य मारपीट होने पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे थाना बडौत पर मु0अ0सं0 204/22 धारा 147/148/323/324/504/506/307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 204/22 धारा 147/148/323/324/504/506/307 भादवि व 7 सीएल एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोटः- उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत द्वारा 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कृष्ण पुत्र मांगा निवासी पट्टी खोब्बा ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्यंम जंघाला थाना बडौत।

2-का0 893 राहुल शर्मा थाना बडौत।

प्रेस नोट

थाना बडौत दिनांक 29.03.2023

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 25 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 25 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुनील उर्फ बिल्ले पुत्र रामकरण निवासी बडका थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 25 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना बडौत।

2- का0 1058 शरद यादव थाना बडौत।

3-का0 985 विपुल गर्ग थाना बडौत।

प्रेस नोट

थाना दोघट दिनाँक- 29.03.2023

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 83/2023 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 03 मोबाइल फोन बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.03.2023 को थाना दोघट पर वादी श्री ऋषिपाल पुत्र सत्यवीर निवासी नंगला कनवाडा थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोर ने उसका मोबाइल फोन VIVO चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 83/023 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411/414 भादवि की वृद्धि की गई।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 83/023 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 03 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अजीत पुत्र रामवीर निवासी खामपुर लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन वीवो
- चोरी किया हुआ एक मोबाइल कीपेड सैमसंग।

- चोरी किया हुआ एक मोबाइल कीपेड सैमसंग।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 श्री नन्द किशोर थाना दोघट जनपद बागपत।

2.का0 807 श्रीपाल मलिक थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना रमाला **दिनाँक 29.03.2023**

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 75/23 धारा 457/380/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक गैस सिलेन्डर बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.03.2023 को थाना रमाला पर वादी श्री दिनेश शर्मा पुत्र अतर सिंह निवासी आचार्यखेडा थाना रमाला ने प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त प्रवीण उर्फ शकील पुत्र वीर सिंह उर्फ सत्यवीर निवासी आचार्यखेडा थाना रमाला द्वारा रात्रि में वादी के घर में घुसकर कमरे का ताला तोडकर गैस का छोटा सिलैन्डर चोरी कर लिया तथा वादी की पत्नी व बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 75/23 धारा 457/380/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 75/23 धारा 457/380/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक गैस सिलेन्डर बरामद हुआ है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रवीण उर्फ शकील पुत्र वीर सिंह उर्फ सत्यवीर निवासी आचार्यखेडा थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- एक छोटा गैस सिलेन्डर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुनहरा सिहं रमाला जनपद बागपत ।

3-का0 1104 चक्रपाल सिहं थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-का0 259 ओमकुमार थाना रमाल बागपत ।

प्रेस नोट

थाना रमाला दिनाँक 29.03.2023

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 अमर सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-का0 952 मोहित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-म0का0 20 राखी थाना रमाला जनपद बागपत ।